

कार्यालय- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी

आदेश संख्या/मान्यता/21917-28 /2018-2019/ दिनांक- 7.3.19

प्रबंधक,

आर0एस0ग्लोबल स्कूल,

अगासण्ड, निन्दूरा, बाराबंकी।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्तर्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण एवं शासनादेश संख्या 418/79-6-2013-18 एस(7)/89 दिनांक 08.05.2013 एवं शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18 (20)/91 दिनांक 08.05.2013 तथा शासनादेश संख्या: 1225/79-6-2017-18 एस (7)/89 दिनांक 04 दिसम्बर 2017 एवं शिक्षा निदेशक बेसिक के पत्र संख्या-शि0नि0(बे0) 78542-638/2015-16 दिनांक 29-01-2019 में निर्दिष्ट निर्देशों के आलोक में प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु जॉच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 02-03-2019 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं आर0एस0ग्लोबल स्कूल, अगासण्ड, निन्दूरा, बाराबंकी को नर्सरी से कक्षा 08 तक सत्र 2018-19 से आगामी तीन (03) शैक्षिक सत्र हेतु उच्च प्राथमिक स्तर (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने कि संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के (या यथास्थिति कक्षाओं में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्धियम का पालन किया जाएगा।
4. प्रस्तर 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से एक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. समिति/विद्यालय कोई व्यक्ति संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा-

Shailendra
PRINCIPAL
R.S. Global School
Barabanki

amr
MANAGING DIRECTOR
R. S. GLOBAL SCHOOL
AGASAND, KURSI, BARABANKI

- (i) बालक का आयु प्रमाण-पत्र न होने पर।
 - (ii) धर्म, जाति अथवा नस्ल जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
 - (iii) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (iv) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
 - (v) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (vi) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vii) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे। तथा टीईटी प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था पूर्ण कर लेंगे।
 - (viii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है,
 - (ix) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा।
 9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या सगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक:जू0हा0स्कूल/अंग्रेजी माध्यम/2018-19/02/2016 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे

Shailendra
PRINCIPAL
R.S. Global School
Barabanki

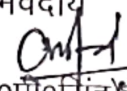
Sh

Amr

S
MANAGING DIRECTOR
R. S. GLOBAL SCHOOL
KASAND, KURSI, BARABANKI

अनुदेशों का पालन करता हूँ, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. विद्यालय प्रबंध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
18. संलग्न उपबन्ध 3 के अनुसार अन्य कोई शर्तें।
19. विद्यालय में शिक्षण कार्य टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीय

(वीनोदीसिंह) 07/3/19
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी।

पृ0सं0/मान्यता/ /2018-19/दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज।
3. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक फैजाबाद, मण्डल फैजाबाद।
4. प्राचार्य, डायट, गनेशपुर, बाराबंकी।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
7. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
10. जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
11. कार्यालय पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी।


PRINCIPAL
R.S. Global School
Barabanki


MANAGING DIRECTOR
R. S. GLOBAL SCHOOL
AGASAND, KURSI, BARABANKI